

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजना,
3090 नवमंडल।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग

नखनक दिनांक 29 जनवरी, 2016

विषय:- एस0सी0पी0योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत व स्थापित किये जा रहे 09 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को क्रियाशील करने के दृष्टिकोण 12 व्यवसायी व उनके एकको तथा मानकीकृत व्यवस्था में पट्टी का सृजन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय के पर संख्या-1043/तीन/वि-4-/एस0सी0पी0/2012-13/2015-15 दिनांक 05-10-2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत तथा स्थापित किये जा रहे 09 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का क्रियाशील करने के दृष्टिकोण 12 व्यवसायी व उनके एकको तथा मानकीकृत व्यवस्था में पट्टी के सृजन हेतु सततक में उन्निहित विवरण के अनुसार विभिन्न श्रेणी/प्रकृति के कुल 450 अस्थायी पट्टी के सृजन की सह्य स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) उपरोक्त सृजित पट्टी के उपयोग में लाये जाने की तिथि से अथवा इस आदेश के जारी होने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 29-02-2016 तक के लिए इस शर्त के साथ सृजित किये जा रहे हैं कि ये पट्टी निरिष्ट तिथि के पूर्व भी बिना किसी सूचना के समाप्त किये जा सकते हैं।
- (2) सृजित पट्टी के धारकों को उनके संगत दैनिकानों में शरान द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत महगाई भत्ता व अन्य भत्ते जा अनुमन्य हो, देय होंगे तथा उक्त पट्टी संबंधित सवर्ग के संबंधित पट्टी में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जावेंगे।
- (3) सृजित पट्टी पर भर्ती/पट्टीन्नति संबंधित नियमावली, जो तत्समय लागू होगी, के अधीन की जावेंगी।
- (4) प्रशिक्षण सवर्ग में सृजित होने वाले कार्यदेशक एवं अनुदेशक के पट्टी में से 33 प्रतिशत पट्टी आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ही भरे जावेंगे। नये सृजित पट्टी पर भर्ती न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर घरणघट तरीके से की जावेंगी। घतुर्य श्रेणी पट्टी को सेवा प्रदाता के माध्यम से भरा जावेंगा।
- (5) इस संबंध में होने वाला व्यव धानू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक-2230-बम तथा रोजगार-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के सुसंगत इकाईयों के नामें छाना जावेंगा।
- (6) स्पेशल कम्पौनेन्ट सब प्लान के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जावेंगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-31/दस-2015, दिनांक 19 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सह्यमति से निर्गत किया जा रहा है।

संततक-संयोजक

भवदीय,
(भुवनेश कुमार)
सचिव।

2/-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकनी जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanaदेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

20		परिचय महायक	01	पी पी-1	5200-20200 (2800)
21		कनिष्ठ महायक	02	पी पी-1	5200-20200 (2000)
22		कार्यशास्त्र परिषद	02	पी पी-1	5200-20200 (1900)
23		अपहार परिषद	01	पी पी-1	5200-20200 (1900)
24		सहायक	04		शेष पदों के आधारे
25		सहायक (स्वयंसेवा)	01		में
26		सहायक/माली	04		
			कुल	50	
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिविल्टरा, कानपुर देहात	प्रधानाचार्य वेतनी-2	01	पी पी-3	15600-39100 (5400)
2		कार्यदेशक	03	पी पी-2	9300-34800 (4600)
3		अनुदेशक फिटर	02	पी पी-2	9300-34800 (4200)
4		अनुदेशक इलेक्ट्रिशियन	02	पी पी-2	9300-34800 (4200)
5		अनुदेशक वेल्डर	02	पी पी-2	9300-34800 (4200)
6		अनुदेशक मैकेनिक रेजिस्ट्रेशन एण्ड एअर कंडीशनिंग	02	पी पी-2	9300-34800 (4200)
7		अनुदेशक मैकेनिक मोटर वाहक	02	पी पी-2	9300-34800 (4200)
8		अनुदेशक कम्प्यूटर अपरेटर एवं डीपार्टिंग ऑफिसर (कॉपा)	02	पी पी-2	9300-34800 (4200)
9		अनुदेशक टनेर	02	पी पी-2	9300-34800 (4200)
10		अनुदेशक इलेक्ट्रिक मैकेनिक	02	पी पी-2	9300-34800 (4200)
11		अनुदेशक वैश्विक कारमेटीमोजी- LOCAL NEEDS	02	पी पी-2	9300-34800 (4200)
12		अनुदेशक कम्प्यूटर - LOCAL NEEDS	02	पी पी-2	9300-34800 (4200)
13		अनुदेशक प्लम्बिंग प्रोसेसिंग ऑपरेटर-LOCAL NEEDS	02	पी पी-2	9300-34800 (4200)
14		अनुदेशक स्टेशनरी एवं मैकेनिकल ऑफिसर (फिटर)	02	पी पी-2	9300-34800 (4200)
15		अनुदेशक प्राथमिक कला	02	पी पी-2	9300-34800 (4200)
16		अनुदेशक वकेशनल फैमिलीवेलेशन एवं साइंस	02	पी पी-2	9300-34800 (4200)
17		अनुदेशक इन्फ्लेमेट्री सिक्लर	01	पी पी-2	9300-34800 (4200)
18		अनुदेशक आर्टिस्टिक ड्रॉइंग	01	पी पी-2	9300-34800 (4200)
19		अपहार	01	पी पी-1	5200-20200 (2800)
20		परिचय महायक	01	पी पी-1	5200-20200 (2800)
21		कनिष्ठ महायक	02	पी पी-1	5200-20200 (2000)
22		कार्यशास्त्र परिषद	02	पी पी-1	5200-20200 (1900)
23		अपहार परिषद	01	पी पी-1	5200-20200 (1900)
24		सहायक	04		शेष पदों के आधारे
25		सहायक (स्वयंसेवा)	01		में
26		सहायक/माली	04		
			कुल	50	
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अकबरपुर, कानपुर देहात	प्रधानाचार्य वेतनी-2	01	पी पी-3	15600-39100 (5400)
2		कार्यदेशक	03	पी पी-2	9300-34800 (4600)
3		अनुदेशक फिटर	02	पी पी-2	9300-34800 (4200)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanaदेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4	अनुदेशक इलेक्ट्रिशियन	02	पी बी-2	9300-34800 (4200)
5	अनुदेशक बेल्टर	02	पी बी-2	9300-34800 (4200)
6	अनुदेशक मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एअर कंडीशनिंग	02	पी बी-2	9300-34800 (4200)
7	अनुदेशक मैकेनिक ट्रेजल इजिन	02	पी बी-2	9300-34800 (4200)
8	अनुदेशक कम्प्यूटर ऑपरेटर एंव प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा)	02	पी बी-2	9300-34800 (4200)
9	अनुदेशक टेलर	02	पी बी-2	9300-34800 (4200)
10	अनुदेशक इलेक्ट्रिकल मैकेनिक	02	पी बी-2	9300-34800 (4200)
11	अनुदेशक पेंटर(जनरल)- LOCAL NEEDS	02	पी बी-2	9300-34800 (4200)
12	अनुदेशक फेशन डिजाइनर टेक्नोलॉजी - LOCAL NEEDS	02	पी बी-2	9300-34800 (4200)
13	अनुदेशक प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर- LOCAL NEEDS	02	पी बी-2	9300-34800 (4200)
14	अनुदेशक प्लम्बर-LOCAL NEEDS	02	पी बी-2	9300-34800 (4200)
15	अनुदेशक धातुचिकित्सा कर्मा	02	पी बी-2	9300-34800 (4200)
16	अनुदेशक वकेशनल फैब्रिकेशन एंव साइड	02	पी बी-2	9300-34800 (4200)
17	अनुदेशक इन्सुलाटिविटी सिस्टम	01	पी बी-2	9300-34800 (4200)
18	अनुदेशक आई(टी) सी	01	पी बी-2	9300-34800 (4200)
19	भण्डारी	01	पी बी-1	5200-20200 (2800)
20	परिचय सहायक	01	पी बी-1	5200-20200 (2800)
21	कनिष्ठ सहायक	02	पी बी-1	5200-20200 (2000)
22	कर्मचारी परिचर	02	पी बी-1	5200-20200 (1900)
23	भण्डार परिचर	01	पी बी-1	5200-20200 (1900)
24	घण्टाघरी	04		सेवा प्रदान के माध्यम से
25	स्वीपर(स्वच्छकार)	01		से
26	घोषीदार/माली	04		
		कुल	50	

(अजीत प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रिकल की जादी किया गया है, अतः इस पर इन्सुलेशन की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।